राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/WAM- / 7930-35 दिनांक 19/03/25

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना, जयपुर।
2. विकास आयुक्त, सी.ए.डी. कोटा/बीकानेर।
3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (शहरी एवं एन.आर.डब्ल्यू), जन स्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निर्माण विभागों हेतु IFMS पर संचालित निर्माण कार्यों से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए की गई कार्य व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की समाप्ति, निर्माण विभागों को आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित किये जाने तथा लंबित देयताओं का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्माण कार्यों से संबंधित प्रक्रियाओं को दिनांक 31.03.2025 तक निर्बाध गति से सम्पादित करने हेतु निम्न व्यवस्थाऐं उपलब्ध रहेगी :–

1. आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर विकल्प के रूप में प्रशासनिक स्वीकृति के बाद वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया उपलब्ध रहेगी। आई.एफ.एम.एस. 3.0 से जारी की गई प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति Fetch होने के साथ ही नियमानुसार आवश्यक तकनीकी स्वीकृति/कार्यादेश/एम.बी. आई.एफ.एम.एस. 2.0 से भी जारी कर भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी। इनमें दोहराव का नियंत्रण सिस्टम पर रखा जायेगा।
2. आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, BOQ एवं कार्यादेश की प्रक्रियाऐं उपलब्ध है जिनके आधार पर आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर जारी कार्यादेश को आई.एफ.एम.एस. 2.0 पर Add कर संवेदक को वर्क आर्डर के आधार पर भुगतान एवं वित्तीय स्वीकृति में सम्मिलित अन्य कम्पोनेन्ट के भुगतान हेतु एच.आर. के माध्यम से भुगतान किये जाने का विकल्प रखा गया है। इस व्यवस्था में MB से सम्बद्ध इन्द्राज आई.एफ.एम.एस. 2.0 पर निर्माण खण्ड द्वारा बिल बनाते समय किया जा सकेगा तथा इन प्रकरणों में e-MB की आवश्यकता नहीं होगी।
3. दिनांक 01.04.2025 से आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर उपलब्ध प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 07.10.2024 एवं 02.01.2025 में उल्लेखित प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाये। बिन्दु संख्या 1 व 2 की व्यवस्थाऐं इस तिथि से स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

उक्त प्रक्रिया वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 602500085 दिनांक 11.03.2025 से अनुमोदित है।

भवदीय

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/WAM- / 7936-39 दिनांक 19/03/25

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (वित्तीय नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग।
3. तकनीकी निदेशक (आई.टी.) (WAM) एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल), शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड किए जाने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)